फर्द अहकाम

य ______________________________

सुरेशचन्द ______ बनाम ______ हरिराम

संख्या/वर्ष : ____________/20____________

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/4/23	पत्रावली पेश हुई। अधिकार फरिकैन उप०। सरकार पैरोकार उप०। प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 1 हरिराम स्वयं उप०। सरकार पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 11, 151 CPC पर बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी सरकार पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा उनवानी हरिराम बनाम सरकार के वाद में दिनांक 13/6/2018 को अन्तिम निर्णय पारित कर दिया गया था। जिसकी अपील सुरेशचन्द द्वारा माननीय ~~संभा~~ न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर में पेश की। प्रार्थना पत्र में विवादित खसरा नं. 201 के संबंध में न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय किया जा चुका है। जिसकी अपील भी प्रार्थी द्वारा की गई है। अप्रार्थी सुरेशचन्द द्वारा न्यायालय को मुगालते में रखते हुए पूर्व में निर्णित खसरा नम्बर 201 के संबंध में नया वाद पेश किया जो कि कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सरकार पैरोकार द्वारा उल्लेखित तथ्यों के संबंध में सहमति दर्शाते हुए कहा कि खसरा नं 201 के संबंध में पूर्व में न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है। बहस उभय पक्षकारान् अधिवक्तागण सुनी गई। पत्रावली का ~~आ~~ आद्योपान्त अवलोकन	(हस्ताक्षर) (हरिराम प्रतिवादी सं. 1)

फर्द अहकाम

न्यायालय ____________________

____________________ बनाम ____________________

मुकदमा संख्या/वर्ष : ____________________/20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		किया गया। प्रार्थी द्वारा खसरा नं० 201 के संबंध में पूर्व में वाद निर्णित होने एवं निर्णय दिनांक 13/6/2018 के विरूद्ध अपील किए जाने के बावजूद न्यायालय को गुमराह में रखते हुए निर्णय पारित करवाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने से हस्तगत प्रकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः सरकार पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सुरेश चन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

फर्द अहकाम

न्यायालय ____________________

____________________ बनाम ____________________

मुकदमा संख्या/वर्ष : ____________/20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		किया गया।
		प्रार्थी द्वारा खसरा नं० २०१ के संबंध में पूर्व में वाद निर्णित होने एवं निर्णय दिनांक 13/6/2018 के विरूद्ध अपील किए जाने के बावजूद न्यायालय को भुगालते में रखते हुए निर्णय पारित करवाने के उद्देश्य से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाने से हस्तगत प्रकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित है।
		अतः सरकार पेशकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सुरेश चन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
		पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
		(हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखंड अधिकारी,
जोबनेर, जयपुर ।

उनवान :– सुरेश चन्द्र वगै0 बनाम हरिराम वगै0

प्रार्थन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 धारा 11, 151 सी0पी0सी0

श्रीमान जी,

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यह की उपरोक्त उनवानी प्रकरण में आज की तारीख पेशी नियत है।
2. यह की उपरोक्त उनवानी प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा दिनांक 13.06.2018 को अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर में सुरेश चंद बनाम हरिराम मुकदमा नं0 77/19 की प्रति अप्रार्थी संख्या 1 हरिराम ने प्रस्तुत की है।
3. यह की प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित खसरा नं0 201 के संबंध में पूर्व में न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है। जिसकी अपील भी पक्षकारान द्वारा की गयी है। अपील दायर किए जाने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो खारीज होने योग्य है।
4. यह की अप्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आए है एवं न्यायालय को मुगालते में रखते हुए निर्णय पारित करवाना चाहते है। इस कारण भी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।
5. यह की प्रार्थना पत्र पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 215 के अंतर्गत न्याय शुल्क से छूट प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 2

दिनांक 29/11/22

29/11/22

तहसीलदार, तहसील, जोबनेर।
जरिये सरकार पैरोकार

न्यायालय उपखंड अधिकारी,
जोबनेर, जयपुर ।

उनवान :– सुरेश चन्द्र वगै0 बनाम हरिराम वगै0

प्रार्थन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 धारा 11, 151 सी0पी0सी0

श्रीमान जी,

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यह की उपरोक्त उनवानी प्रकरण में आज की तारीख पेशी नियत है।
2. यह की उपरोक्त उनवानी प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा दिनांक 13.06.2018 को अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर में सुरेश चंद बनाम हरिराम मुकदमा नं0 77/19 की प्रति अप्रार्थी संख्या 1 हरिराम ने प्रस्तुत की है।
3. यह की प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित खसरा नं0 201 के संबंध में पूर्व में न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है। जिसकी अपील भी पक्षकारान द्वारा की गयी है। अपील दायर किए जाने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो खारीज होने योग्य है।
4. यह की अप्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आए है एवं न्यायालय को मुगालते में रखते हुए निर्णय पारित करवाना चाहते है। इस कारण भी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।
5. यह की प्रार्थना पत्र पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 215 के अंतर्गत न्याय शुल्क से छूट प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 2

दिनांक - 29/11/22

[signature] 29/11/22

तहसीलदार, तहसील, जोबनेर।
जरिये सरकार पैरोकार